

11-12-2013

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
क्रमांक-एफ.3 (ख)(आर-249/83)/अलेसे-11/ 7636-37

दिनांक- 16-01-2017

कार्यालय आदेश संख्या 375/2013-14

श्री महावीर प्रसाद ढाका, लेखाकार कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सीकर ने सूचित किया है कि श्री देवकी नन्दन शर्मा वेतनमान 1640-2900 में वेतन स्थिरिकरण पश्चात् उनसे अधिक वेतन प्राप्त कर है, जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विवरण	नाम वरिष्ठ कार्मिक (सर्वश्री)	नाम कनिष्ठ कार्मिक (सर्वश्री)
1	राज्य सेवा में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर प्रथम नियुक्ति	महावीर प्रसाद ढाका 95/83	देवकी नन्दन शर्मा 260/83
2	कार्यग्रहण करने पर वेतन एवं वेतन श्रृंखला	21.08.1984 625/- (625-1120)	21.08.1984 625/- (625-1120)
3	आगामी वेतन वृद्धि की तिथि एवं वेतन	21.08.1985 640/-	21.08.1985 640/-
4	दिनांक 01.09.86 को वेतन निर्धारण एवं वेतन श्रृंखला	1180/- (1140-2250)	1180/- (1140-2250)
5	आगामी वेतन वृद्धि की तिथि एवं वेतन	21.08.1987 1200/-	21.08.1987 1200/-
6	दिनांक 01.09.88 के नवीन वेतनमान में वेतन श्रृंखला/पुनरीक्षित वेतनमान 89 में वेतन निर्धारण (आगामी वेतन वृद्धि की तिथि को)	1520/- 21.08.1989 (1400-2360)	1520/- 26.08.1989 (1400-2360)
7	आगामी वेतन वृद्धि की तिथि	21.08.1990	26.08.1990 (दि. 21.12.87 से 23.12.87 एवं 29.12.87 से 30.12.87 तक कुल 5 दिवस का असाधारण अवकाश के कारण)
8	प्रथम चयनित वेतनमान देयता की तिथि	21.08.1993	21.08.1993
9	प्रथम चयनित वेतनमान देय होने से पूर्व वेतन एवं वेतन श्रृंखला	1700/- (1400-2600)	1650/- (1400-2600)
10	प्रथम चयनित वेतनमान में निर्धारित वेतन एवं वेतन श्रृंखला	1760/- (1640-2900)	1760/- (1640-2900)
11	वेतन वृद्धि की तिथि	21.08.1994	26.08.1993
12	आगामी वेतन वृद्धि पर देय वेतन	1820/-	1820/-

उक्त तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट होता है, कि श्री देवकी नन्दन शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार, श्री महावीर प्रसाद ढाका तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार से दिनांक 26.08.93 से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं। अतः वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.3(1)वित्त/युप-2/91-11 दिनांक 02.04.94 के अनुसरण से राजस्थान सेवा नियम 32 के अन्तर्गत श्री महावीर प्रसाद ढाका, लेखाकार का वेतन दिनांक 26.08.93 से 1760/-रु० के स्थान पर 1820/-रु० श्री देवकी नन्दन शर्मा के अनुरूप निर्धारित किया जाता है। आगामी वेतन वृद्धि राजस्थान सेवा नियम 31 के अनुसार एक वर्ष पश्चात् देय होगी।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

दिनांक- 16-01-2017

क्रमांक-एफ.3 (ख)(आर-249/83)/अलेसे-11/ 7636-37

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सीकर को मय सेवापुस्तिका श्री महावीर प्रसाद ढाका।
2. श्री महावीर प्रसाद ढाका, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सीकर।
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)

ए-ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर

Website - dta raj me in, E-Mail Id - jdp-ta-raj me in Fax-2742309, Tel.- 2744134